न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3265–पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 19–6–12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला भोपाल प्रकरण कमांक 47/निगरानी/11–12.

1– एच.एस. पावला आत्मज सोहन सिंह
2– ए.एन. सिंह आत्मज परमहंस
3– लाल हरनाथ सिंह आत्मज ज्वालासिंह
4– श्रीमती साधना दुबे, पत्नी तेजबहादुर
निवासीगण अरण्यावली गृह निर्माण सहकारी समिति
खेल परिसर, 74 बंगला, भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

वन संरक्षक
राजधानी परियोजना प्रशासन
विट्टल मार्केट,
हबीबगंज थाने के पीछे, भोपाल .....अनावेदक

श्री हिमांशु राय, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 13/4/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक कमांक 1 एच.एस. पावला की ग्राम गौरा तहसील हुजूर स्थित भूमि सर्वे कमांक 22/1/2/1 रकबा 0.174 हेक्टेयर, आवेदक कमांक 2 ए.एन.सिंह की भूमि सर्वे कमांक 22/1/2/2 रकबा 0.174 हेक्टेयर, आवेदक कमांक 3 लाल हरनाथसिंह की भूमि सर्वे कमांक 22/1/2/3 रकबा 0.174 हेक्टेयर एवं आवेदिका कमांक 4 श्रीमती साधना दुबे की भूमि सर्वे कमांक 22/1/2/4

रकबा 0.174 हेक्टेयर का नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी नजूल राज. परि. टी.टी. नगर, भोपाल द्वारा सीमांकन कराया जाकर दिनांक 17–11–11 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । तहसील न्यायालय के सीमांकन आदेश से व्यथित होकर अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर, भोपाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत किए जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 19–6–12 को आदेश पारित कर आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर की गई तार फैंसिंग हटाने के निर्देश देते हुए प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन अधीक्षक, भू–अभिलेख, राजस्व निरीक्षक एवं हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में 15 दिवस के अन्दर कराया जाकर आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण की भूमियां सर्वे कमांक 22/1/2/1, 22/1/2/2, 22/1/2/3 एवं 22/1/2/4 हैं, जबकि अनावेदक की भूमि सर्वे कमांक 22/2 है । इस प्रकार उभय पक्ष की भिन्न भूमियां होने के बावजूद भी अनावेदक द्वारा अनावश्यक विवाद उत्पन्न किया जा रहा है । यह भी कहा गया कि अनावेदक की भूमि प्रभावित नहीं होने के बावजूद भी उसके द्वारा मात्र तकनीकी आधारों पर अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, और यह नहीं बतलाया गया कि आवेदकगण का किया गया सीमांकन किस प्रकार से अवैध है, इसके बावजूद भी अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की भूमियों के किये गये सीमांकन को निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन कार्यवाही से स्वत्व का निराकरण नहीं होता है, और राजस्व अभिलेखों एवं अक्स में आवेदकगण एवं अनावेदक की भूमियां भिन्न–भिन्न स्थानों पर स्थित है, अतः आवेदकगण की भूमियों के किये गये सीमांकन में हस्ताक्षेप का अधिकार अनावेदक को नहीं होते हुए भी उसके द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार करने में अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय द्वारा किये गये सीमांकन को स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया प्रश्नाधीन भूमियां तालाब एफ.टी.एल. (फुल टेंक लेवल) में आती हैं, अर्थात तालाब पूर्ण भरने की सीमा में उक्त भूमियां आती हैं, इस हेतु सर्वे नम्बर 22/2 राजधानी परियोजना द्वारा अधिग्रहण भी किया गया है, अतः आवेदकगण को उक्त भूमि अधिग्रहित भूमि में से किस प्रकार प्राप्त हुई है, यह जांच का विषय है । जॉच के लिए अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण प्रत्यावर्तित किया गया है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है । अर्जित भूमि के आवंटन/स्वामित्व परिवर्तन के बिन्दु पर भी जांच की जाये ।इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर द्वारा सीमांकन आदेश निरस्त कर तार फैंसिंग हटाये जाने के निर्देश देने में भी किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता नहीं की गई है । साथ ही प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन अधीक्षक, भू–अभिलेख/राजस्व निरीक्षक द्वारा हितबद्ध पक्षकारों की उपस्थिति में 15 दिवस में कराये जाने के आदेश देने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । उपरोक्त कारणों से अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 19–6–12 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर